BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 211/2024

IN THE MATTER OF:

Sanjay Agarwal ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Additional Affidavit on Behalf of Respondent No. 1	1 - 6
2.	**Annexure A1** – Copy of the letter dated 26.02.2026 bearing number 75/Reader/Assistant Manager/ 2026 issued by the Ld. SDM, Narendra Nagar	7 - 15
3.	**Annexure A2** - Copy of the letter dated 13.03.2026 bearing number 3222/29-3(3) from the Divisional Forest Officer, Narendranagar Forest Division, Muni-Ki-Reti, Tehri Garhwal.	16 - 17

THROUGH COUNSEL

PLACE: DELHI

DATE: 19.03.2026

ADARSH CHAMOLI
Counsel For Respondent No. 1
5, Lawyers' Chamber Block-I,
Delhi High Court, New Delhi – 110003
Mobile: 8375955697
Email: adarshchamoli93@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 211/2024

IN THE MATTER OF:

Sanjay Agarwal ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1

Most Respectfully Showeth:

I, Kalyani (Female), aged about 48 years, D/o Shri Devraj Singh, presently posted as Additional Secretary, Department of Environment Conservation and Climate Change, Government of Uttarakhand, Dehradun

NOTARY PUBLIC VIRENDER SINGH NOTARIAL District Dehra Dun (Uttarakhand) Reg.No.-32254/2025 Exp Dt.-13-01-2030 GOVT OF INDIA 19/03/2026

(Deponent)

I, the above name deponent, do hereby solemnly affirm and stated as hereunder:

1. That the deponent is presently posted as Additional Secretary, Environment Protection and Climate Change, State of Uttarakhand i.e. Respondent No. 1 in the present matter as such she is fully conversant with the facts of the case and competent to swear the present Affidavit.

2. That the present Additional Affidavit is being filed pursuant to the Hon'ble Tribunal's order dated 28.01.2026 to file additional documents regarding the encroachments of the are which is the subject matter of the present proceedings.

3. As has already been stated in the Joint Committee's Inspection Report already filed before this Hon'ble Tribunal, proceedings related to encroachment of land are pending against the four individuals namely Mr. Dilwar Singh alias Deepak Kandari (Case No. 14/2024-25), Atul Mehra (s/o Sukhrampal Singh) (Case No. 15/2024-25), Kapil Gupta (s/o Sachidanand Gupta) (Case No. 16/2024-25) and Lalit Mohan Mishra (s/o Kamlanarayan Singh) (Case No. 17/2024-25) under the provisions of Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act 1972.

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt.-13-01-2030
GOVT. OF INDIA

4. However, such reports only mentioned the measured area of encroachment and did not providing any details as to what kind of land has been encroached upon by the alleged encroachers. Moreover, the Respondent No. 3, by way of their Reply Affidavit (Para 4 of

Respondent No. 3's affidavit) and observations made by Respondent No. 12 in its compliance Report (Para 5 of the Report), only clarified that the encroaching structures lie outside the 100- year flood plain and therefore, does not fall under the jurisdiction of Respondent No. 3.

5. Therefore, the complete details of the encroached area were essential to rule out the possibility of any other kind of encroachment which might led to the violations of environmental laws. In this regard, the Respondent has gathered information from the concerned departments to provide the factual details of the complaints that are pending against the aforesaid encroachers under the provisions of Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act 1972.

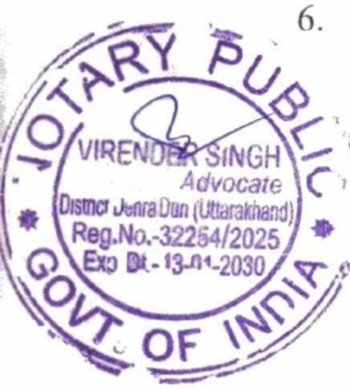

6. That Ld. SDM, Narandranagar, vide its letter dated 26.02.2026 bearing number 75/Reader/Assistant Manager/2026 has stated that the concerned land falls within the boundary of municipal council of Munikireti and also provided the daily orders passed in the aforementioned cases wherein the location of the encroached building has been noted as follows:

S. No.	Case Number	Boundaries of the subject land
1.	Case No. 14/2024-25	East: Drain West: Adhiyasi's Building North : Atul Mehra's Building

		South: Measured Land
2.	Case No. 15/2024-25	East: Drain West: Adhiyasi's Building North : Atul Mehra's Building South: Measured Land.
3.	Case No. 16/2024-25	East: Drain West: Adhiyasi's Building North : Abhinav Goyal's Building South: Lalit Mohan Mishra's buildings.
4.	Case No. 17/2024-25	East: Drain West: Adhiyasi's Building North : Atul Mehra's Building South: Measured Land.

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt.-13-01-2030
GOVT. OF INDIA

Copy of letter dated 26.02.2026 bearing number 75/Reader/ Assistant Manager/2026 is annexed as **Annexure A1**.

7. Therefore, on the bare perusal of such location, it is clear that apart from the drain located on the East side of the encroached building, the encroached building is only surrounded by either municipal area, or constructed buildings and therefore, there is no question of encroachment on any forest land or any other natural body.

8. That further, Respondent No. 1 has received a letter dated 13.03.2026 bearing number 3222/29-3(3) from the Divisional Forest Officer,

Narendranagar Forest Division, Muni-Ki-Reti, Tehri Garhwal that the Deccan Valley Tapovan i.e. the building which is the subject matter of the present matter falls under Nagar Panchayat which is outside the reserved forest area. Hence, there is no alleged encroachment in the forest area. Copy of the letter dated 13.03.2026 bearing number 3222/29-3(3) from the Divisional Forest Officer, Narendranagar Forest Division, Muni-Ki-Reti, Tehri Garhwal is annexed as **Annexure A2**.

9. That the contents of the Affidavit have been prepared under the instructions of the deponent and the same are true and correct and nothing material and has been concealed therefrom.

10. That the deponent undertakes to comply with any further directions that this Hon'ble Tribunal may pass in the present matter.

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt.-13-01-2030
GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Dehradun, Uttarakhand on 19 day of March 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Identified by
Hitesh Chhetri
Computer opretor

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt.-13-01-2030
GOVT OF INDIA

SR. No. 202
Date. 19-03-2026

This affidavit is sworn before me by
Smt Kalyani
who is identified by Sri. Hitesh Chhetri (C-O)
at Dehradun on 19/03/2026

Virender Singh
Advocate & Notary Dehradun

 ANNEXURE- A1

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी
नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

संख्या 75/वाचक/सहा.प्रब./–2026 दिनांक नरेन्द्रनगर फरवरी 26 2026।
विषय– मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में याजित मूल आवेदन संख्या 211/2024 संजय अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 186/जिला गंगा समिति/एन.जी.टी. –2025–26 दिनांक नई टिहरी 25 फरवरी 2026 के अनुपालन में वाछित तीन बिन्दुओं की सूचना निम्नवत विन्दुवार प्रेषित है

1– बिन्दु संख्या 1 के कम में वाद संख्या 14,15,16,17, वर्ष 2024–25 में चालानी रिपोर्ट एवं जारी नोटिस की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

2– तहसीलदार नरेन्द्रनगर के द्वारा अवगत कराया कि उक्त भूमि नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती सीमा क्षेत्रान्तर्गत आती है। वन क्षेत्र में अतिकमण के सम्बन्ध में वन विभाग से स्थिति स्पष्ट की जानी उचित होगी।

3– दायर वादों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति–

वाद का विवरण	दर्ज किये जाने का दिनांक	वाद की वर्तमान स्थिति	वाद में अंतिम आदेश
वाद संख्या 14/2024–25 सरकार बनाम दिलवर सिंह	7.12.2024	वाद में वादी चालानकर्ता के बयान हो चुके है, तथा अध्यासी द्वारा चालानी भूमि को पुनः संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 139 सी.आर.पी.सी.के तहत गठित समिति पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी।	पुनः सयुक्त निरीक्षण हेतु गठित समित पर अध्यासी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति की सुनवायी की गयी, एवं अध्यासी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति खारिज की गयी पत्रावली वास्ते अध्यासी चालानकर्ता के प्रतिपरीक्षा बयान हेतु नियत की गयी।
वाद संख्या 15/2024–25 सरकार बनाम अतुल मेहरा	7.12.2024	–तदैव–	–तदैव–
वाद संख्या 16/2024–25 सरकार बनाम कपिल गुप्ता	7.12.2024	–तदैव–	–तदैव–
वाद संख्या 17/2024–25 सरकार बनाम ललित मोहन मिश्रा	7.12.2024	–तदैव–	–तदैव–

अतएव वांछित रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित।

26/2/26.
उपजिलाधिकारी
नरेन्द्रनगर।

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt.-13-01-2030
GOVT OF INDIA

न्यायालयः विहित प्राधिकारी ,नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

फौ० वा० संख्या– 15 / 2024–25 अंतर्गत धारा–4 (1) सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम।

वादी– राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार नरेन्द्रनगर।

बनाम

प्रतिवादी / अप्राधिकृत अध्यासी – अतुल नेहरा पुत्र सुखरमपाल निवासी ग्राम तपोवन पटटी धमान्दस्यूं।

(1) 7/12/2024 तहसीलदार नरेन्द्रनगर के द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम,1972 की धारा–4 की तहत प्रस्तुत चालानी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अप्राधिकृत अध्यासी के द्वारा ग्राम– तपोवन पटटी धमान्दस्यूं तहसील नरेन्द्रनगर की ज.विर. खतौनी खाता संख्या 196 में दर्ज खेत नम्बर 01 रक्वा 0.7450 हे. भूमि जो सरकार उत्तराखण्ड की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में दर्ज है,। उक्त खेत नम्बर 01 के कुल रक्वा 0.7450 मध्ये 0.0038 हे. भूमि पर अध्यासी द्वारा बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप बहुमंजिला भवन का निर्माण कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है को हटाकर राज्य सरकार को लाभार्जन की राशि दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

तदनुसार चालानी रिपोर्ट का परीक्षण किया गयां तदनुसार अध्यासी के विरूद्व उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम,1972 की धारा–4 के तहत वाद पंजीकृत कर प्रतिवादी/अप्राधिकृत अध्यासी को धारा–4(1) के तहत नोटिस जारी हो, पत्रावली दिनांक 24.12.2024 को प्रतिवादी के जबाव दावा हेतु पेश हों।

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt.-13-01-2030
GOVT OF INDIA

न्यायालयः विहित प्राधिकारी ,नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

बेदखली वा0 संख्या–131 / 2024–25

अंतर्गत धारा–4 (1) सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम।

प्रपत्र–(क)

(नियम 3 देखिये)

(उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम,1972 की धारा–4 की उपधारा–(1)के अधीन नोटिस।

प्रेषित,

1– अतुल मेहरा पुत्र सुखरमपाल निवासी ग्राम तपोवन पटटी धमान्दस्यूं।

चूंकि नीचे बताये गये आधार पर अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि नीचे अनूसूची में वर्णित सार्वजनिक भू–गृहादि पर आपका अप्राधिकृत अध्यासन है और उक्त भू–गृहादि से आपको बेदखल किया जाना चाहिए।

:: आधार::

(यहां आधारों का उल्लेख कीजिये)

उपरोक्त अप्राधिकृत अध्यासी के द्वारा ग्राम– तपोवन पटटी धमान्दस्यूं तहसील नरेन्द्रनगर की ज.विर. खतौनी खाता संख्या 196 में दर्ज खेत नम्बर 01 रक्बा 0.7450 हे. भूमि जो सरकार उत्तराखण्ड की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में दर्ज है,। उक्त खेत नम्बर 01 के कुल रक्बा 0.7450 मध्ये 0.0038 हे. भूमि पर अध्यासी द्वारा बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप बहुमंजिला भवन का निर्माण कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है, अतएव उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके मैं एतदद्वारा आपसे दिनांक 25/12/2024को या उससे पूर्व इस न्याालय में उपस्थित होकर यह कारण बताये जाने के लिए कहता हूँ कि क्यों न अध्यासित भूमि से बदेखली का आदेश दिया जाए।

(अनुसूची)

(भू–गृहादि के ब्योरे दिये जांय)

उपरोक्त अप्राधिकृत अध्यासी के द्वारा ग्राम– तपोवन पटटी धमान्दस्यूं तहसील नरेन्द्रनगर की ज.विर. खतौनी खाता संख्या 196 में दर्ज खेत नम्बर 01 रक्बा 0.7450 हे. भूमि जो सरकार उत्तराखण्ड की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में दर्ज है,। उक्त खेत नम्बर 01 के कुल रक्बा 0.7450 मध्ये 0.0038 हे. भूमि पर अध्यासी द्वारा बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप बहुमंजिला भवन का निर्माण कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है। उक्त भूमि एवं उस पर बने छः मंजिला भवन की कीमत 1083836/–00 रूपयें आंकी गयी है, और इसी के आधार पर वाद का मुल्यांकन करते हुये अध्यासी द्वारा उक्त भू–भाग से बाजारी दर पर रू0 252000/–00(दो लाख बावन हजार रूपये) वार्षिक की दर से लाभार्जन कर रहा है। क्यो न उक्त भूमि से अध्यासी को बेदखल किया जाय, और बेदखली तिथि तक लाभार्जन की धनराशि वसूल की जाए।

जिसकी चौहददी निम्नवत् हैः–

पूरब मेंः नाला पश्चिम मेंः– अध्यासी का भवन

उत्तर मेंः भवन अतुल मेहरा ,दक्षिण मेंः– नाप भूमि

दिनांक 7/12/2024

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

प्रतिलिपिः तहसीलदार नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ नोटिस की एक प्रति संबंधित पर तामील करवा कर रिपोर्ट नियत तिथि से पूर्व न्यायालय को प्रत्यावर्तित की जाय।

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32264/2025
Exp Dt.-13-01-2030
GOVT OF INDIA

न्यायालयः विहित प्राधिकारी ,नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

बे0वा0 संख्या– 16/2024–25

अंतर्गत धारा–4 (1) सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनिय।

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

बनाम

प्रतिवादी / अप्राधिकृत अध्यासीः श्री कपिल गुप्ता पुत्र सच्चिदानन्द, निवासी ग्राम तपोवन,पट्टी–धमान्दस्यूँ, तहसील नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

07.12.2024 तहसीलदार नरेन्द्रनगर से चालानी वाद पत्र प्राप्त। वाद पत्र का परीक्षण किया गया। वाद पंजीकृत कर अप्राधिकृत अध्यासी के विरूद्ध धारा–4(1) सा0भू0गृ0 एवं बे0अधिनियम का नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते आपत्ति दिनांक 24-12-24 को प्रस्तुत हो।

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt - 13-01-2030
GOVT OF INDIA

न्यायालयः विहित प्राधिकारी ,नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

वे0वा0 संख्या– /2024–25 अंतर्गत धारा–4 (1) सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम।

प्रपत्र–(क)

(नियम 3 देखिये)

(उ0प्र0 सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम,1972 की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन नोटिस।)

प्रेषित,

श्री कपिल गुप्ता
पुत्र सच्चिदानन्द, निवासी ग्राम तपोवन,
पट्टी–धमान्दस्यूँ, तहसील नरेन्द्रनगर,
टिहरी गढ़वाल।

चूंकि नीचे बताये गये आधार पर अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि नीचे अनूसूची में वर्णित सार्वजनिक भू–गृहादि पर आपका अप्राधिकृत अध्यासन है और उक्त भू–गृहादि से आपको बेदखल किया जाना चाहिए।

:: आधार::

(यहां आधारों का उल्लेख कीजिये)

अप्राधिकृत अध्यासी श्री कपिल गुप्ता पुत्र सच्चिदानन्द निवासी ग्राम तपोवन, पट्टी–धमान्दस्यूँ तहसील नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा ग्राम तपोवन, पट्टी–धमान्दस्यूँ, तहसील नरेन्द्रनगर, के खतौनी ज0वि0र0 खाता सं0–196 में दर्ज खसरा नं0–01, कुल क्षेत्रफल 0.00.7450है0 भूमि जो सरकार उत्तराचंल की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह वन्दोवस्त अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, उक्त भूमि मध्ये 0.0060है0 भूमि पर, बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप से बहुमंजिला भवन निर्मित कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है, जिससे अध्यासी उपरोक्त उक्त भू–भाग से रू0 2,88,000/–(रूपये दो लाख अठ्ठासी हजार) वार्षिक की दर से लाभ अर्जित कर रहा है, से अध्यासी को अध्यासित भू–भाग से बेदखल किया जाय, और बेदखली तिथि तक लाभार्जन की धनराशि वसूल की जाए।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके मैं एतद्द्वारा आपसे दिनांक 24/12/24 को या उससे पूर्व यह कारण बताये जाने के लिए कहता हूँ कि क्यों न बदेखली का आदेश दिया जाए।

(अनुसूची)

(भू–गृहादि के ब्योरे दिये जांय)

अप्राधिकृत अध्यसासी श्री कपिल गुप्ता पुत्र सच्चिदानन्द उपरोक्त द्वारा ग्राम तपोवन, पट्टी–धमान्दस्यूँ, तहसील नरेन्द्रनगर, के खतौनी ज0वि0र0 खाता सं0–196 में दर्ज खसरा नं0–01, कुल क्षेत्रफल 0.00.7450 है0 भूमि जो सरकार उत्तराचंल की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह वन्दोवस्त अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, उक्त भूमि मध्ये 0.00360है0 भूमि पर, बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप से बहुमंजिला भवन निर्मित कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है, जिससे अध्यासी उपरोक्त उक्त भू–भाग से 2,88,000/–(रूपये दो लाख अठ्ठासी हजार) वार्षिक की दर से लाभ अर्जित कर रहा है, से अध्यासी को अध्यासित भू–भाग से बेदखल किया जाय, और बेदखली तिथि तक लाभार्जन की धनराशि वसूल की जाए।

जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:–

पूरब में: नाला, पश्चिम में:–अध्यासी का भवन,
उत्तर में: अभिनव गोयल ,दक्षिण में:–ललित मोहन मिश्रा का भवन स्थित हैं।

दिनांक 07.12.2024

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

प्रतिलिपिः राजस्व उपनिरीक्षक, तपोवन तहसील नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ नोटिस की एक प्रति संबंधित पर तामील करवा रिपोर्ट नियत तिथि से पूर्व न्यायालय को प्रत्यावर्तित की जाय।

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt - 13-01-2030
GOVT OF INDIA

न्यायालयः विहित प्राधिकारी ,नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

बे0वा0 संख्या– /5/2024–25 अंतर्गत धारा–4 (1) सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनिय।

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

बनाम

प्रतिवादी/अप्राधिकृत अध्यासीः श्री ललित मोहन मिश्रा पुत्र कमल नारायण, निवासी ग्राम ग्राम तपोवन,पट्टी–धमान्दस्यूँ तहसील नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

(1)

07.12.2024 तहसीलदार नरेन्द्रनगर से चालानी वाद पत्र प्राप्त। वाद पत्र का परीक्षण किया गया। वाद पंजीकृत कर अप्राधिकृत अध्यासी के विरूद्ध धारा–4(1) सा0भू0गृ0 एवं बे0अधिनियम का नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते आपत्ति दिनांक 24-12-24 को प्रस्तुत हो।

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt - 13-01-2030
GOVT OF INDIA

(2)

न्यायालयः विहित प्राधिकारी ,नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

बे०वा० संख्या– /2024–25 अंतर्गत धारा–4 (1) सा०भू०गृ०एवं बेदखली अधिनिय।

प्रपत्र–(क)

(नियम 3 देखिये)

(उ0प्र0 सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम,1972 की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन नोटिस।)

प्रेषित,

श्री ललित मोहन मिश्रा पुत्र कमल नारायण
निवासी ग्राम ग्राम तपोवन,
पट्टी–धमान्दस्यूँ तहसील नरेन्द्रनगर,
टिहरी गढ़वाल।

चूंकि नीचे बताये गये आधार पर अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि नीचे अनूसूची में वर्णित सार्वजनिक भू–गृहादि पर आपका अप्राधिकृत अध्यासन है और उक्त भू–गृहादि से आपको बेदखल किया जाना चाहिए।

:: आधार::

(यहां आधारों का उल्लेख कीजिये)

अप्राधिकृत अध्यासी श्री ललित मोहन मिश्रा पुत्र कमल नारायण निवासी निवासी ग्राम ग्राम तपोवन, पट्टी–धमान्दस्यूँ तहसील नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के द्वारा ग्राम तपोवन, पट्टी–धमान्दस्यूँ, तहसील नरेन्द्रनगर, के खतौनी ज0वि0र0 खाता सं0–196 में दर्ज खसरा नं0–01, कुल क्षेत्रफल 0.00.7450 है0 भूमि जो सरकार उत्तराचंल की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह वन्दोवस्त अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, उक्त भूमि मध्ये 0.0038है0 भूमि पर, विना सरकार की अनुमति के वर्ष–2024 से अवैध रूप से बहुमंजिला भवन निर्मित कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है, जिससे अध्यासी उपरोक्त उक्त भू–भाग से 0 2,52,000/–(रूपये दो लाख बावन हजार मात्र) वार्षिक की दर से लाभ अर्जित कर रहा है, से अध्यासी को अध्यासित भू–भाग से बेदखल किया जाय, और बेदखली तिथि तक लाभार्जन की धनराशि वसूल की जाए।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके मैं एतद्द्वारा आपसे दिनांक 24.12.24 को या उससे पूर्व यह कारण बताये जाने के लिए कहता हूँ कि क्यों न बदेखली का आदेश दिया जाए।

(अनुसूची)

(भू–गृहादि के ब्योरे दिये जांय)

अप्राधिकृत अध्यसासी श्री ललित मोहन मिश्रा पुत्र कमल नारायण उपरोक्त के द्वारा ग्राम तपोवन, पट्टी–धमान्दस्यूँ, तहसील नरेन्द्रनगर, के खतौनी ज0वि0र0 खाता सं0–196 में दर्ज खसरा नं0–01, कुल क्षेत्रफल 0.00.7450है0 भूमि जो सरकार उत्तराचंल की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह वन्दोवस्त अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, उक्त भूमि मध्ये 0.0038है0 भूमि पर, बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप से बहुमंजिला भवन निर्मित कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है, जिससे अध्यासी उपरोक्त उक्त भू–भाग से रू0 2,52,000/–(रूपये दो लाख बावन हजार मात्र) वार्षिक की दर से लाभ अर्जित कर रहा है, से अध्यासी को अध्यासित भू–भाग से बेदखल किया जाय, और बेदखली तिथि तक लाभार्जन की धनराशि वसूल की जाए।

जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:–

पूरब में: नाला, पश्चिम में:–अध्यासी का भवन,
उत्तर में: कपिल गुप्ता का भवन ,दक्षिण में:–अतुल नेहरा का भवन स्थित हैं।

दिनांक 02/12/24

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

प्रतिलिपि: राजस्व उपनिरीक्षक, तपोवन तहसील नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ नोटिस की एक प्रति संबंधित पक्ष तामील करवा रिपोर्ट नियत तिथि से पूर्व न्यायालय को प्रत्यावर्तित की जाय।

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt.-13-01-2030
GOVT OF INDIA

न्यायालयः विहित प्राधिकारी ,नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

बेदखली वाo संख्या– 15 ~~13~~ /2024–25

अंतर्गत धारा–4 (1) साoभूoगृoएवं बेदखली अधिनियम।

वादी–

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार नरेन्द्रनगर।

बनाम

प्रतिवादी/**अप्राधिकृत** अध्यासी – दिलवर सिंह उर्फ दीपक कण्डारी पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम तपोवन पटटी धमान्दस्यूं।

(1)

7–12–2024

तहसीलदार नरेन्द्रनगर के द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम,1972 की धारा–4 की तहत प्रस्तुत चालानी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अप्राधिकृत अध्यासी के द्वारा ग्राम– तपोवन पटटी धमान्दस्यूं तहसील नरेन्द्रनगर की ज.विर. खतौनी खाता संख्या 196 में दर्ज खेत नम्बर 01 रक्वा 0.7450 हे. भूमि जो सरकार उत्तराखण्ड की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में दर्ज है,। उक्त खेत नम्बर 01 के कुल रक्वा 0.7450 मध्ये 0.0112 हे. भूमि पर अध्यासी द्वारा बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप बहुमंजिला भवन का निर्माण कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है को हटाकर राज्य सरकार को लाभार्जन की राशि दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

तदनुसार चालानी रिपोर्ट का परीक्षण किया गयां तदनुसार अध्यासी के विरूद्व उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम,1972 की धारा–4 के तहत वाद पंजीकृत कर प्रतिवादी/अप्राधिकृत अध्यासी को धारा–4(1) के तहत नोटिस जारी हो, पत्रावली दिनांक 24.12.2024 को प्रतिवादी के जबाव दावा हेतु पेश हों।

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt.-13-01-2030
GOVT OF INDIA

न्यायालयः विहित प्राधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

बेदखली वा0 संख्या– 15 /2024-25 अंतर्गत धारा–4 (1) सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम 1972।

प्रपत्र–(क)

(नियम 3 देखिये)

(उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम,1972 की धारा–4 की उपधारा–(1)के अधीन नोटिस।

प्रेषित,

1– दिलवर सिंह उर्फ दीपक कण्डारी पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम तपोवन पटटी धमान्दस्यूं।

चूंकि नीचे बताये गये आधार पर अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि नीचे अनूसूची में वर्णित सार्वजनिक भू–गृहादि पर आपका अप्राधिकृत अध्यासन है और उक्त भू–गृहादि से आपको बेदखल किया जाना चाहिए।

आधारः

(यहां आधारों का उल्लेख कीजिये)

उपरोक्त अप्राधिकृत अध्यासी के द्वारा ग्राम– तपोवन पटटी धमान्दस्यूं तहसील नरेन्द्रनगर की ज. विर. खतौनी खाता संख्या 196 में दर्ज खेत नम्बर 01 रक्वा 0.7450 हे. भूमि जो सरकार उत्तराखण्ड की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में दर्ज है.। उक्त खेत नम्बर 01 के कुल रक्वा 0.7450 मध्ये 0. 0112 हे. भूमि पर अध्यासी द्वारा बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप बहुमंजिला भवन का निर्माण कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है, अतएव उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके मैं एतद्द्वारा आपसे दिनांक 25/11/2024को या उससे पूर्व इस न्यालय में उपस्थित होकर यह कारण बताये जाने के लिए कहता हूँ कि क्यों न अध्यासित भूमि से बदेखली का आदेश दिया जाए।

(अनुसूची)

(भू–गृहादि के ब्योरे दिये जाय)

उपरोक्त अप्राधिकृत अध्यासी के द्वारा ग्राम– तपोवन पटटी धमान्दस्यूं तहसील नरेन्द्रनगर की ज.विर. खतौनी खाता संख्या 196 में दर्ज खेत नम्बर 01 रक्वा 0.7450 हे. भूमि जो सरकार उत्तराखण्ड की भूमि है, जो उसकी स्वामी है, तथा इसी तरह बन्दोवस्त अभिलेखों में दर्ज है,। उक्त खेत नम्बर 01 के कुल रक्वा 0.7450 मध्ये 0.0112 हे. भूमि पर अध्यासी द्वारा बिना सरकार की अनुमति के वर्ष–2023 से अवैध रूप बहुमंजिला भवन का निर्माण कर अप्राधिकृत अध्यासन कर रखा है। उक्त भूमि एवं उस पर बने छः मंजिला भवन की कीमत 3194464/–00 रूपये आंकी गयी है, और इसी के आधार पर वाद का मुल्यांकन करते हुये अध्यासी द्वारा उक्त भू–भाग से बाजारी दर पर रू0 3,60,000/–00(तीन लाख साठ हजार रूपये) वार्षिक की दर से लाभार्जन कर रहा है। क्यो न उक्त भूमि से अध्यासी को बेदखल किया जाय, और बेदखली तिथि तक लाभार्जन की धनराशि वसूल की जाए।

जिसकी चौहद्दी निम्नवत् हैः–

पूरब में: नाला पश्चिम में:– अध्यासी का भवन

उत्तर में: भवन अतुल मेहरा .दक्षिण में:– नाप भूमि

दिनांक 7/11/2024

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt.-13-01-2030
GOVT OF INDIA

प्रतिलिपिः तहसीलदार नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ नोटिस की एक प्रति संबंधित पर तामील करवा कर रिपोर्ट नियत तिथि से पूर्व न्यायालय को प्रत्यावर्तित की जाय।

विहित प्राधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

R.W. 272/2 RSI Tapovan

NN तामील करवायें।

11/11/24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनि–की–रेती, टिहरी गढ़वाल।
E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in Phone/fax No. – 0135 – 2442052

पत्रांक :– 3222/29–3(3), दिनांक, मुनि–की–रेती, 13/03/2026 ।

ANNEXURE - A2

सेवा में,

उप सचिव,
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या 211/2024 संजय अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में।

सन्दर्भ :– आपका शासकीय पत्र संख्या–**108/XXXVIII-1-2026-ई-15(2)2025, दिनांक 12.03.2026**।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित शासकीय पत्र से आपके द्वारा जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–188/जिला गंगा समिति/एन0जी0टी0, 2025–26, दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर की आख्या बिन्दु संख्या–2 में निम्नवत् अवगत कराया गया है :–

2. तहसीलदार नरेन्द्रनगर के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती सीमा क्षेत्रान्तर्गत आती है। वन क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में वन विभाग से स्थिति स्पष्ट की जानी उचित होगी।

उक्त बिन्दु के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–3213/29–3(3), दिनांक 13.03.2026 से उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर एवं वन क्षेत्राधिकारी, शिवपुरी रेंज को प्रश्नगत् स्थल का संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में वन क्षेत्राधिकारी, शिवपुरी रेंज द्वारा अपने पत्रांक संख्या–590/29–3, दिनांक 13.03.2026 **(छायाप्रति संलग्नक)** से राजस्व विभाग एवं वन विभाग की पृथक–पृथक स्थलीय निरीक्षण उपलब्ध करायी गयी, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :–

राजस्व विभाग के अनुसार ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्यूं, तहसील नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के खाता संख्या–196 अन्तर्गत खसरा सं0–01 की भूमि राजस्व अभिलेखों में उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज अभिलेख है। खाता संख्या 196 मध्ये खसरा सं0–01 पर अवैध अध्यासी सर्व श्री ललित मोहन मिश्रा पुत्र कमन नारायण ग्राम तपोवन द्वारा कुल 0.0038 हे0, श्री अतुल मेहरा पुत्र सुखराम पाल निवासी ग्राम तपोवन द्वारा 0.0038 हे0, श्री दिलवर सिंह उर्फ दीपक कण्डारी पुत्र लक्ष्मण सिंह ग्राम तपोवन द्वारा 0.0112 हे0, श्री कपिल गुप्ता पुत्र सच्चिदानन्द निवासी ग्राम तपोवन द्वारा 0.0060 हे0 भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन किये जाने पर उ0प्र0 सार्वजनिक भू–गृहादि अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विहित प्राधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल में वाद गतिमान है।

वन विभाग के अनुसार डैकन वैली तपोवन का क्षेत्र नगर पंचायत के अन्तर्गत है, जो कि आरक्षित वन से बाहर है।

अतः उपरोक्तानुसार स्पष्ट है, कि वन क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नही है।

भवदीय,

संलग्नक–यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनि–की–रेती,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या/दिनांकित तदैव।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनि–की–रेती,
टिहरी गढ़वाल।

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt.-13-01-2030
GOVT OF INDIA

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, शिवपुरी राजि, मुनिकीरेती,

Phone/fax No.- 0135-2442052 E-Mail Add.-dfonnagar-forest-uk@nic-in

पत्रांक– 590 /29–3, मुनिकीरेती, दिनांक 13 – 03 –2026

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती।

द्वारा :– उप प्रभागीय वनाधिकारी,
देवप्रयाग उप वन प्रभाग।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या 211/2024 संजय अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– प्र0व0अ0 महोदय का पत्रांक–3213/29–3(3), दिनांक 13.03.2026 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त स्थल का निरीक्षण अनुभाग अधिकारी, मुनिकीरेती द्वारा राजस्व विभाग के साथ किया गया, जिसकी आख्या निम्न प्रकार है :–

राजस्व विभाग के अनुसार, "ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्यू, तहसील नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के खाता संख्या–196 अन्तर्गत खसरा सं0–01 की भूमि राजस्व अभिलेखों में उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज अभिलेख है। खाता संख्या 196 मध्ये खसरा स0–01 पर अवैध अध्यासी सर्व श्री ललित मोहन मिश्रा पुत्र कमन नारायण ग्राम तपोवन द्वारा 0.0038 है0, श्री अतुल मेहरा पुत्र सुखराम पाल निवासी ग्राम तपोवन द्वारा 0.0038 है0, श्री दिलवर सिंह उर्फ दीपक कण्डारी पुत्र लक्ष्मण सिंह ग्राम तपोवन द्वारा 0.0112 है0 श्री कपिल गुपता पुत्र सच्चिदानन्द निवासी ग्राम तपोवन द्वारा 0.0060 है0 भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन किये जाने पर उ0प्र0 सार्वजनिक भू–गृहादि अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विहित प्राधिकारी, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल में वाद गतिमान है।"

महोदय प्रश्नगत् स्थल वन विभाग के अभिलेखों में आरक्षित वन से बाहर है तथा प्रश्नगत् भूमि पर उचित कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय की सेवा मे सादर प्रेषित है।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी राजि, मुनिकीरेती

NOTARY PUBLIC
VIRENDER SINGH
Advocate
District Dehra Dun (Uttarakhand)
Reg.No.-32254/2025
Exp Dt.-13-11-2030
GOVT OF INDIA